फर्द अहकाम

कोयली बनाम प्रभू वगै0

संख्या: 130 / 2014

ांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
07.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अपने जवाब में अंकित किया कि वाद पत्र के मद संख्या–1 में वर्णित तथ्य स्वीकार है लेकिन विवादग्रस्त सम्पत्ति के अन्य रिकॉर्डेड सह खातेदारान् को आवश्यक व उचित पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नही बनाया गया है पक्षकारों के असयोजन के कारण वादीगण का वाद पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र का मद संख्या–2 में वर्णित कथन अस्वीकार है। विवादग्रस्त सम्पत्ति के खातेदारो के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्स के अनुसार अभी तक विभाजन नही हुआ है। वाद पत्र की मद संख्या–3 में वर्णित कथन अस्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या–4 में वर्णित कथन असत्य एवं निराधार व कपोल कल्पित होने से अस्वीकार है। दिनांक 15.05.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा विवादग्रस्त सम्पत्ति पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया। वादीगण द्वारा केवल मात्र झूठी व मनगढंत कहानी गढ़कर वादकारण उत्पन्न करने की चेष्टा की है। वाद पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित कथन अस्वीकार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण व अन्य सह खातेदारान् विवादग्रस्त सम्पत्ति के संयुक्त रूप से सह खातेदार है जिनके मध्य अभी तक मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार विभाजन नही हुआ है। वादीगण को कोई अधिकार नही है कि प्रतिवादीगण जो कि विवादग्रस्त सम्पत्ति के रिकॉर्डेड खातेदार को जरिये निषेधाज्ञा [illegible] न्यायालय से पाबंद करवाये। वादीगण द्वारा [illegible] उन[illegible] वाद पत्र में मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का [illegible] कि एक रिकॉर्डेड सह खातेदार के विरूद्ध बिना विभाजन के [illegible]नुतोष की उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:44:54 IST
Reason: SelfAttested

कोयली बनाम प्रभू वगै0

18.07.2024

वाद संख्या: 130/2014

मांग के प्रदान नही किया जा सकता है। वाद पत्र का मद संख्या–7 में वर्णित कथन अस्वीकार है। वादीगण को दिनांक 15.05.2014 को किसी प्रकार का वादकारण उत्पन्न नही हुआ वादीगण द्वारा कपोल कल्पित व अरात्य कहानी गढकर बेवजह वाद कारण उत्पन्न करने की कोशिश की है। वाद पत्र का मद संख्या–8 कानूनी होने से जवाब मोहताज नहीं है। वाद पत्र का मद संख्या 9 कानूनी होने से जवाब मोहताज नही है। वाद पत्र का मद संख्या–10 कानूनी होने से जवाब मोहताज नही है। अनुतोष के मद के खण्ड क, ख, ग में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का वादीगण अधिकारी नही है। अतः जवाब दावा मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद मय हर्जे खर्चे विशेष 50,000/–रूपये के खारिज फरमाया जावे। खर्चा प्रतिवादीगण को वादीगण से दिलवाया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो भी माननीय न्यायालय प्रतिवादीगण के पक्ष में उचित व आवश्यक समझे प्रदान फरमाया जावे।

बहस उभयपक्षकारान की पत्रावली में सुनी गई दौराने बहस वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या एक लगायत तीन को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह वाद पत्र की मद संख्या एक मे वर्णित वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य न करें तथा न ही किसी प्रकार का आवासीय व व्यवसायिक निर्माण कार्य करें तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग कब्जे काश्त मे बाधा कारित न करें ना करावे।

प्रतिवादीगण ने दौराने बहस जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दौहराया।

बहस उभयपक्षकारान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के सहखातेदार को ग्राम गंवार ब्राहम्णान तह0 सांगानेर में स्थित खसरा नम्बर 590, 615, 616, 617 में अकृषि कार्य नही करने के लिए पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
मुख्यालय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:44:54 IST
Reason: SelfAttested